

**जल जीवन मिशन—“हर घर नल से जल योजना” कार्यक्रम अन्तर्गत दिनांक 21.02.2024 को जिलाधिकारी महोदय, बलिया की अध्यक्षता में जनपद—बलिया में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं अनुश्रवण हेतु नामित सम्बन्धित एजेन्सियों के कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।**

जल जीवन मिशन—“हर घर नल से जल योजना” कार्यक्रम अन्तर्गत दिनांक 21.02.2024 को जिलाधिकारी महोदय, बलिया की अध्यक्षता में जनपद—बलिया में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं अनुश्रवण हेतु नामित सम्बन्धित एजेन्सियों के कार्यों की प्रगति समीक्षा हेतु कलेक्टर सभागार में बैठक आयोजित की गई। जिसमें समिति के निम्नलिखित अधिकारियों एवं नामित एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी, बलिया।
4. डी०पी०एम० कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलिया।
5. जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बलिया।
6. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बलिया।
7. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बलिया।
8. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, (वि०/याँ०),उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), सोनभद्र।
9. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड—प्रथम, बलिया।
10. अधिशासी अभियन्ता भूर्गम जल विभाग, बलिया।
11. सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बलिया।
12. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, बलिया।
13. टीम लीडर, मेसर्स मेधज लि, (टी.पी.आई.)।
14. समस्त संस्था प्रमुख इन्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी।
15. टीम लीडर, मेसर्स प्योर लाइफ, बलिया।
16. टीम लीडर, स्वजन फाउण्डेशन, बलिया।

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि, जनपद बलिया में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण की कार्यवाही प्रगति, पूर्व निर्माणधीन परियोजनाओं में विद्युत संयोजन की स्थिति, इन्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी के कार्यों की प्रगति, थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन हेतु नामित मेधज लिमिटेड के कार्यों की प्रगति, पेयजल योजनाओं के हितग्रहियों के प्रशिक्षण हेतु चयनित संस्था मेसर्स स्वजन फाउण्डेशन के कार्यों की प्रगति पेयजल से सम्बन्धित आई०ई०सी० एक्टीविटी हेतु चयनित संस्था मेसर्स प्योर लाइफ द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति समीक्षा हेतु दिनांक 21.02.2024 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी। समीक्षा बैठक में सम्बन्धित फर्म एवं समस्त संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति निम्नवत हैं—

**1. सतही आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण की कार्यवाही प्रगति :-**

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि, जनपद बलिया में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद के समस्त 17 विकास खण्डों को तीन भागों में विभाजित करते हुये 03 नग सतही स्रोत आधारित पेयजल योजनाओं क्रमशः बेलहरी, हनुमानगंज एवं मनियर पाइप पेयजल योजना का निर्माण अनुबन्ध सं० क्रमशः 06/ED/Phase-4/2023-24 दिनांक 15-07-2023, 01/ED/Phase-4/2023-24 दिनांक 14-07-2023 एवं 11/ED/Phase-4/2023-24 दिनांक 19-07-2023 अन्तर्गत कराया जा रहा है। जिसमें फर्म मेसर्स ईगल इन्फा इण्डिया लिमिटेड जे०वी० मेसर्स सुधाकरा द्वारा विकास खण्ड— मुरली छपरा, बैरिया, बेलहरी, रेवती एवं बांसडीह, फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड ट्रूब्रो द्वारा विकास खण्ड—दुबहड, हनुमानगंज, बेरुआरवारी, गडवार, सोहौव, चिलकहर एवं रसडा एवं फर्म मेसर्स गाजा जे०वी० जी०ए० इन्फा द्वारा विकास खण्ड—मनियर, पन्दह, नवानगर,

नगरा एवं सीयर में योजनाओं के कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। योजनाओं में मुख्य कार्यों में 03 नग इन्टेरकेल(118 एम०एल०डी०, 186 एम०एल०डी०, 145 एम०एल०डी०), 03 नग डब्ल्यू०टी०पी०(93 एम०एल०डी०, 148 एम०एल०डी०, 115 एम०एल०डी०), 9 नग सी०डब्ल्यू०आर०, 315 नग अवर जलाशय एवं अन्य कार्य प्रस्तावित है। उपरोक्त योजनाओं में समयावधि पूर्ण कर चुकी योजनाए अथवा पूर्व वर्षों में निर्मित योजनाओं में आंशिक जलापूर्ति से सम्बन्धित समस्याओं के निदान भी योजना के पुर्नगठन/रेट्रोफिटिंग कराते हुये कराया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सतही आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण की कार्यवाही में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के अनुरूप कार्यवाही करें एवं आ रही बाधाओं को समय अन्तर्गत निस्तारित करायें। उपरोक्त के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड सिचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग/रेलवे/नेशनल हाइवे/आर०ई०डी०/पंचायती राज कार्यालय एवं प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय से समन्वय स्थापित कर योजना अन्तर्गत आवश्यक अनापत्ति की कार्यवाही पूर्ण करायें।

**कार्यवाही— अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/समस्त सम्बन्धित विभाग।**

## **2. योजनाओं अन्तर्गत कराये जा रहे वितरण प्रणाली के कार्यों में क्षतिग्रस्त रोड एवं मरम्मत की स्थिति :-**

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि, जनपद बलिया में जल जीवन भिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यदायी फर्म मेसर्स इंगल इन्फा इंडिया लिमिटेड जे०वी० मेसर्स सुधाकरा द्वारा विकास खण्ड— मुरली छपरा, बैरिया, बेलहरी, रेवती एवं बांसडीह, फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड ट्रूब्रो द्वारा विकास खण्ड—दुबहड, हनुमानगंज, बेरुआरवारी, गडवार, सोहौव, चिलकहर एवं रसडा एवं फर्म मेसर्स गाजा जे०वी० जी०ए० इन्फा द्वारा विकास खण्ड—मनियर, पन्दह, नवानगर, नगरा एवं सीयर में योजनाओं की रॉ—वाटर राइजिंग मेन, कलीयर वाटर फीडर मेन एवं समस्त ग्राम पंचायतों की वितरण प्रणाली का कार्य कराया कराया जा रहा है। उपरोक्त वितरण प्रणाली कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार पक्की सड़क (सी०सी०/खडंजा/बिटुमिन/टाइल्स) अथवा कच्ची पटरी पर बिछायी जा रही है। जिसके पुनर्स्थापन का कार्य सम्बन्धित कार्यदायी फर्म द्वारा स्वयं कराया जायेगा। योजनाओं अन्तर्गत बिछाई जाने वाली विभिन्न वितरण प्रणालियों में रोड कटिंग एवं पुनर्स्थापन हेतु प्रमुख सचिव महोदय, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के शासनादेश सं० 3498/छिहत्तर-१-२०२३ दिनांक 22.09.2023 के साथ संलग्न प्रबन्ध निदेशक महोदय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के पत्र सं० 1110/011—रोड पुनर्स्थापन/२३ दिनांक 06.07.2023 एवं मुख्य सचिव महोदय के शासनादेश सं० 61/2022/३३९३/छिहत्तर- १-२०२२-२१ सम/२०२२ दिनांक 03.10.2022 के क्रम में तदानुसार सम्बन्धित विभाग को संसूचित करते हुए राइजिंग मेन/फीडर मेन/वितरण प्रणाली बिछाने के कार्य एवं क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मत के कार्य कराये जाने हेतु खण्ड कार्यालय के विभिन्न पत्रों द्वारा पूर्व में सम्बन्धित फर्मों को सूचित किया गया है।

सम्बन्धित फर्मों द्वारा योजनाओं अन्तर्गत बिछाये जाने वाली वितरण प्रणाली के कार्यों में उपरोक्त आदेशों का अनुपालन नहीं कराया जा रहा है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग से फर्मों द्वारा समन्वय स्थापित न किये जाने के कारण रोड कटिंग की सूचना के समय से संसूचित न किये जाने के कारण कार्यदायी फर्मों के अधीनस्थ सब कान्ट्रेक्टरों द्वारा मनमाने ढंग से वितरण प्रणाली का कार्य कराये जा रहे हैं एवं पक्की सड़क के निकट कच्ची पटरी उपलब्ध होने के बावजूद भी समूचित रोड कटिंग एवं उक्त की समय से मरम्मत न किये जाने की सम्बन्धित विभाग से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उपरोक्त कार्यों में सम्बन्धित विभाग को समय से रोड कटिंग एवं उक्त की मरम्मत से संसूचित किये जाने के दृष्टिगत फर्मों से समूचित प्लान प्राप्त करने हेतु लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग अथवा अन्य कार्यालयों द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन सड़कों की सूची की आवश्यकता है। जो सम्बन्धित विभाग से अप्राप्त है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद में समस्त विकास खण्डों में लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग अथवा अन्य विभाग द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन सड़कों की सूची एवं प्रत्येक निर्मित सड़क का मानक अतिशीघ उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को इस आशय के साथ निर्देश दिये गये कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल

निगम(ग्रामीण) को सूची उपलब्ध कराने के साथ समन्वय स्थापित करते हुये जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के कार्यों एवं उक्त में क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत कार्यों को फर्म के माध्यम से ससमय पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

### **3. आई०एस०ए० द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति :-**

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत "हर घर नल से जल" उपलब्ध कराने हेतु जनपद की ग्राम पंचायतों में पेयजल योजनाओं के दृष्टिगत जन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, नियोजन, गुणता नियंत्रण एवं संचालन अनुरक्षण प्रबन्धन इत्यादि कार्यों के लिए नामित समस्त ०५ इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सीयों नामित हैं एवं संस्थाओं को मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से ४० अथवा ४० से कम ग्राम पंचायतों के प्रति कलस्टर अनुसार २४ कलस्टर अधिकारी कार्यवाही सदस्य सचिव जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा पूर्व में करायी जा चुकी है। आवंटन की कार्यवाही सदस्य सचिव जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा पूर्व में करायी जा चुकी है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया कि इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सीयों के आर०एफ०पी० के अनुसार प्रत्येक कलस्टर की समस्त ग्राम पंचायतों में ०३ फेज क्रमशः प्लानिंग एवं मोवलाइजेशन, इम्प्लीमेन्टेशन अनुसार प्रत्येक कलस्टर की समस्त ग्राम पंचायतों में ०३ फेज क्रमशः प्लानिंग एवं मोवलाइजेशन, इम्प्लीमेन्टेशन फेज एवं पोस्ट इम्प्लीमेन्टेशन फेज अन्तर्गत निर्धारित गतिविधियाँ की जानी हैं जिसके क्रम में आई०एस०ए० फेज एवं पोस्ट इम्प्लीमेन्टेशन फेज अन्तर्गत निर्धारित गतिविधियाँ की जानी हैं जिसके क्रम में आई०एस०ए० संस्थाओं द्वारा समस्त आवंटित कलस्टरों में प्लानिंग एवं मोवलाइजेशन के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। जिसमें ०९ कलस्टर के बीजक की कार्यवाही पूर्व में पूर्ण कर ली गयी है, ०४ कलस्टर में पत्रावली संस्था द्वारा प्रस्तुत की गयी है एवं शेष ११ कलस्टर में संस्थाओं द्वारा बीजक भुगतान हेतु पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी है। सदस्य सचिव द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत ०४ कलस्टर की पत्रावली अन्तर्गत प्लानिंग एवं मोवलाइजेशन फेज के किये गये कार्यों से समिति को अवगत कराया गया, एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपेक्षित सूचना कि "भैतिक प्रगति एवं दर स्वीकृति दर के अनुरूप है पर स्पष्ट आख्या दें।" के क्रम में डी०पी०एम०य० कार्यालय एवं खण्ड कार्यालय द्वारा किये गये परीक्षण में प्रस्तुत भुगतान के सापेक्ष भैतिक प्रगति एवं दर RFP के Schedule of payment में स्वीकृति दर के अनुरूप पायी गयी। जिसके क्रम में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा उपरोक्त पत्रावली पर भुगतान हेतु संस्तुति की गई एवं आई०एस०ए० को आवंटित शेष ११ कलस्टर में कार्य पूर्ण कराते हुये पत्रावली पर भुगतान हेतु संस्तुति की गई एवं आई०एस०ए० को आवंटित शेष ११ कलस्टर में कार्य पूर्ण कराते हुये पत्रावली विकास खण्ड स्तर से ए०डी०ओ०(पंचायत) एवं खण्ड विकास अधिकारी के बीजक भुगतान हेतु पत्रावली विकास खण्ड स्तर से ए०डी०ओ०(पंचायत) एवं खण्ड विकास अधिकारी के सह-हस्ताक्षर से अग्रसारित के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण), कार्यालय एवं डी०पी०एम०य० कार्यालय से आई०एस०ए० कोऑडिनेटर, पी०एम० फाइनेंस एवं डिस्ट्रिक्ट कोऑडिनेटर के सत्यापन उपरान्त समिति में प्रस्तुत कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।

मनप्रस्तुत कराने हेतु जापानी वा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है।

#### प्रगतिपात्र के कार्यों की स्थिति :-

4. टाइपोआइट क कार्या का विवर -  
सदस्य सचिव/अधिकारी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में निर्माणाधीन अथवा निर्मित की जाने वाली योजनाओं के कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक कराने हेतु शासन द्वारा थर्ड पार्टी इन्सफेशन एजेन्सी के रूप में मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्राइलि0 लखनऊ नामित है। संस्था प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कार्यों की गुणता सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान में 11 इंजीनियर कार्यरत हैं कार्यों के आवश्यकता अनुसार कार्यरत कार्मिकों की संख्या बढ़ाई जायेगी। वर्तमान में संस्था के इंजीनियर द्वारा सामान्य निरीक्षण के साथ साथ कृत कार्यों के सापेक्ष प्रस्तुत बीजक अन्तर्गत कार्य का निरीक्षण किया जाता है। कार्यों की गुणता उचित पाये जाने के उपरान्त ही संस्था द्वारा बीजक भुगतान हेतु अग्रसरित किया जाता है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा वर्तमान में निर्माणाधीन एवं भविष्य में निर्मित की जाने वाली सतही आधारित पेयजल योजना के कार्यों को गुणता पूर्वक कराना सुनिश्चित करें।

**कार्यवाही— अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) / मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०**

##### 5. संस्था स्वजन फाउण्डेशन द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति :-

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्रांक सं० 3917/JJM/PRI/TRAINING/Vol-1/2020-21 दिनांक 03 फरवरी 2022 द्वारा संस्था स्वजन फाउण्डेशन ई०- 131 कुर्माचल नगर, इन्दिरा नगर, लखनऊ को जनपद बलिया के प्रत्येक राजस्वग्राम से 05 महिलाओं को जल गुणवत्ता जांच प्रशिक्षण तथा 13 तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्व में की गयी थी। परन्तु उक्त के अभिलेख कार्यालय में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। संस्था द्वारा एफ०टी०के० किट के माध्यम से जल गुणवत्ता जांच प्रशिक्षण सम्बन्धित कार्यवाही समुचित ढंग से न किये जाने फलस्वरूप अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्रांक सं० 819/JJM/PRI/TRAINING/Vol-1/2020-21 दिनांक 08 मई 2023 एवं 818/JJM/PRI/ TRAINING/Vol-1/2020-21 दिनांक 08 मई 2023 के माध्यम से पुनः समस्त राजस्व ग्रामों में अभियान चलाकर एफ०टी०के० प्रशिक्षण कार्यक्रम में पानी जांच में अक्षम प्रशिक्षित महिलाओं को एफ०टी०के० किट के माध्यम से जल गुणवत्ता जांच प्रशिक्षण देने के साथ ही जांच के परिणाम WQMIS पोर्टल पर अपलोड कराये जाने के निर्देश संस्था को दिये गये थे। जिसके क्रम में संस्था द्वारा चयनित महिलाओं के प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण कराते हुये सूचना WQMIS पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। अतः जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा संस्था के बीजक भुगतान की कार्यवाही में संस्था द्वारा प्रशिक्षण कार्य समाप्ति के उपरान्त पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन विकास खण्ड स्तर से खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से अग्रसारित के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण), कार्यालय के जू०इ०/स०अभि० एवं २००पी०एम०य० कार्यालय से सी०बी० एण्ड टी० कोऑडिनेटर एवं डिस्ट्रिक्ट कोऑडिनेटर के सत्यापन उपरान्त पत्रावली अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही— अधि० अभि०, जल निगम (ग्रामीण)/जिला समन्वयक, २००पी०एम०य०/संस्था स्वजन फाउण्डेशन।

##### 6. मेसर्स प्योर लाइफ सोसायटी द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति :-

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय के पत्रांक सं० 3949/W-314/JJM/Outdoor Agency Empanelment/2022-23 दिनांक 15 दिसम्बर 2023 के क्रम में जल जीवन मिशन अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा इम्पैनल्ड/सूचीबद्ध एजेन्सी के माध्यम से जनपद/विकास खण्ड/तहसील/ग्राम पंचायत एवं राजस्व ग्राम स्तर पर एल.ई.डी./होडिंग एवं अन्य आई.ई.सी. गतिविधियों के माध्यम से जनमानस में जन-जागरूकता कार्यम/गतिविधियों के कार्यों को कराने हेतु जनपद की नामित संस्था मेसर्स प्योर लाइफ द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। संस्था द्वारा जनपद, विकास खण्ड, तहसील, ग्राम पंचायत, एवं राजस्व ग्राम स्तर पर एल.ई.डी./होडिंग एवं अन्य आई.ई.सी. गतिविधियों के माध्यम से जनमानस में जन-जागरूकता कार्यक्रम/गतिविधियों के अधिकांश कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं एवं शेष कार्यों को आचार संहिता से पूर्व कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। चूंकि संस्था द्वारा उपरोक्त एविटिविटी की कार्यवाही राजस्व ग्राम, ग्राम पंचायत, विकास खण्ड, तहसील एवं जनपद स्तर पर की जा रही है। अतः जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा संस्था के बीजक भुगतान की कार्यवाही में संस्था द्वारा आई०ई०सी० एविटिविटी के कार्य समाप्ति के उपरान्त पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी एवं लेखपाल द्वारा कराते हुये विकास खण्ड स्तर से २००पी०ओ०(पंचायत) एवं खण्ड विकास अधिकारी के सह-हस्ताक्षर से अग्रसारित के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण), कार्यालय के जू०इ०/स०अभि० एवं २००पी०एम०य० कार्यालय से सी०बी० एण्ड टी० कोऑडिनेटर एवं डिस्ट्रिक्ट कोऑडिनेटर के सत्यापन उपरान्त ही पत्रावली पर अग्रेतर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही— अधि० अभि०, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/जिला समन्वयक, २००पी०एम०य०/संस्था प्योर लाइफ सोसायटी ।

✓

## 7. जनपद में पूर्व निर्मित/निर्माणाधीन योजनाओं के कार्य प्रगति एवं संचालन खण्डखॉव की स्थिति :-

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में निर्माणाधीन योजनाओं को प्रत्येक दशा में माह मार्च 24 तक पूर्ण कर संचालित किया जाना लक्षित है। जिस पर खण्ड कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण), द्वारा पूर्व निर्मित योजनाओं के समुचित संचालन के सन्दर्भ में समिति के समक्ष विचार विर्माण किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि निर्माणाधीन योजनाओं को समय अन्तर्गत पूर्ण कराये एवं पूर्व निर्मित योजनाओं में स्थलीय निरीक्षण कराते हुये विकास खण्ड स्तर पर बैठक कर संचालन कराये।

कार्यवाही- अधिकारी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/जिला पंचायत राज अधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारी।

बैठक के अन्त में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं यथा—आई०एस०ए०, टी०पी०आई०, डी०पी०एम०य० एवं अन्य संस्थाओं को उनके द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को शासन/प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निष्पादित कराने के निर्देश दिये एवं जनपद में निर्मित की जाने वाली सतही पेयजल योजना के निर्माण में आने वाली समस्त समस्याओं का निराकरण कराते हुए समस्त पेयजल योजनाओं के कार्यों को निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत पूर्ण कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।

बैठक संधन्यवाद समाप्त हुई।

५  
०२.०३.२७

(मुकीम अहमद)

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन  
बलिया

पृष्ठां: १९१ , पै० अ० भ०० , १३ दिनांक: ०२ / ०३ / २०२४

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, किसान बाजार, गोमती नगर, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
3. मुख्य राजस्व अधिकारी, बलिया।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, बलिया।
5. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बलिया।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रतीय खण्ड/निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बलिया।
7. जनपदीय टीम लीडर, मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि० लखनऊ।
8. जिला समन्वयक, प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट, बलिया।
9. समस्त आई०एस०ए० बलिया।
10. जनपदीय टीम लीडर, स्वजन फाउण्डेशन, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
11. जनपदीय टीम लीडर, मेसर्स प्योर लाईफ, अमरावती, महाराष्ट्र।

५  
०२.०३.२७

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन  
बलिया